

dt
23/11/2026

कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, अयोध्या।

प्रकीर्ण आदेश संख्या - 50 सन् 2026 ई०

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्रांक संख्या-486/Admin.(E-I) Section/XC-4/2026, दिनांकित 13.01.2026, इलाहाबाद के माध्यम से यह निर्देश प्रदान किया गया कि दिनांक 15.01.2026 (दिन गुरुवार) को मकर संक्रान्ति के अवसर पर जनपद न्यायालय में अवकाश घोषित किया जाए तथा उक्त कार्य दिवस के स्थान पर किसी चतुर्थ शनिवार को न्यायालय को कार्य दिवस घोषित किया जाए।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा प्रकीर्ण आदेश संख्या-24/2026 के माध्यम से दिनांक 24.01.2026 (चतुर्थ शनिवार) को जनपद न्यायालय को नियमित कार्य दिवस की भाँति खोले जाने का आदेश पारित किया गया था।

इसके उपरान्त फैजाबाद बार एसोसिएशन, अयोध्या द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि दिनांक 24.01.2026 (चतुर्थ शनिवार) के स्थान पर दिनांक 27.06.2026 (चतुर्थ शनिवार) को न्यायालय को कार्य दिवस घोषित किया जाए।

फैजाबाद बार एसोसिएशन, अयोध्या द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव के क्रम में, प्रकीर्ण आदेश संख्या-24/2026 में आंशिक संशोधन किया जाता है, जिसके अंतर्गत अब दिनांक 24.01.2026 (चतुर्थ शनिवार) के स्थान पर दिनांक 27.06.2026 (चतुर्थ शनिवार) को जनपद न्यायालय पूर्ववत् खुलेगा तथा नियमित न्यायिक कार्य संपादित किया जाएगा।

आदेश की एक प्रति श्रीमान जिलाधिकारी अयोध्या, फैजाबाद बार एसोसिएशन, अयोध्या एवं अधिष्ठान के समस्त न्यायालयों/कार्यालयों/ग्राम न्यायालयों को सूचनार्थ भेजी जाये। माननीय उच्च न्यायालय को भी नियमानुसार सूचना प्रेषित की जाये।

दिनांक: 23.01.2026

(रंजय कुमार वर्मा)
जनपद न्यायाधीश
अयोध्या।

संख्या- 586 /अयोध्या/दिनांक:- जनवरी 23 2026.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त न्यायालय/कार्यालय, जनपद न्यायालय, अयोध्या।
2. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना जनपद न्यायालय अयोध्या की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. जिलाधिकारी, अयोध्या।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या।
5. समस्त ग्राम न्यायालय, रुदौली, बीकापुर एवं मिल्कीपुर के पीठासीन अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित बार को सूचित करें।
6. अध्यक्ष/महामंत्री, फैजाबाद बार एसोसिएशन, अयोध्या।
7. अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या।
8. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, अयोध्या।

9. जिला सूचना अधिकारी, अयोध्या को समाचारपत्रों में निःशुल्क प्रकाशन द्वारा प्रचार प्रसार हेतु।
10. सम्पादक, दैनिक समाचारपत्र को प्रकाशनार्थ।
11. नोटिस बोर्ड ।
12. सम्बंधित पत्रावली।

आदेशानुसार,


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय,
अयोध्या।